



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1081]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940

No. 1081]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

का.आ. 1215(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 213 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 443(अ), तारीख 12 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित संसोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, शीर्षक 'अर्हता' के अधीन, क्रम संख्यांक 1 से 4 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात्: -

“(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया

ऑटो मोबाइल इंजीनियरी में कोई डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम);

या

यांत्रिक इंजीनियरी में कोई डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम), और

(iii) गियर वाली मोटर साइकिल और हल्के मोटर यान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति का धारण करना।”।

[सं. आरटी-11036/62/2018-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 12 जून, 1989, का.आ. 443(अ) द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th March, 2019

S.O. 1215(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published in the official Gazette *vide* number S.O. 443(E), dated the 12th June, 1989, namely:—

In the said notification, under the heading ‘Qualification’, for serial numbers 1 to 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively, be substituted, namely:-

- “(i) 10th standard pass from any recognised Board; and
- (ii) a diploma in Automobile Engineering (three year course);
or
a diploma in Mechanical Engineering (three year course),
awarded by any institution recognised by the Central Government or State Government; and
- (iii) holding a driving license authorising to drive motor cycle with gear and light motor vehicles.”.

[F. No. RT-11036/62/2018-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. 443(E), dated the 12th June, 1989.